

CIN : U31200UP2003SGC027458

पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/पी०एफ०

दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

श्री राजेश कुमार (2014276), उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय, थानाभवन अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली को विभागीय कार्यों राजस्व वसूली में घोर उदासीनता बरतने, विद्युत आपूर्ति/अनुरक्षण कार्यों में शिथिलता बरतने, ब्रेक डाउन समय से अटैण्ड न कर विभाग की क्षति धूमिल करने व अवैध धन उगाही, आर-एपीडीआरपी टाउन में 11 के०वी० फीडर के सैनेटाईजेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में रुचि न लेने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने व घोर अनुशासनहीनता करने, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली व उपखण्ड अधिकारी-द्वितीय, थानाभवन के साथ कैम्पों के निरीक्षण के उपरान्त विभागीय मोबाईल नम्बर पर मोबाईल नं०-9536066633 से एस०सी०/एस०टी० एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिलाने जैसे कदाचरण का प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाने पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या : 10944/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/पी०एफ० दिनांक 26.11.14 के द्वारा निलम्बित किया गया।

मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर ने अपने पत्रांक : 11755/मु०अ०(वि०)स०क्ष०/अधि०/ई-1 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा सहारनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं की अत्यन्त कमी, एक मुश्त समाधान योजना, राजस्व वसूली, सुचारु विद्युत आपूर्ति एवं अन्य विभागीय कार्यों के दृष्टिगत निलम्बन के कारणों की लम्बित जाँच पूरी होने तक श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (निलम्बित) को पुनर्पदस्थापित करने की संस्तुति की।

अतः मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर की उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश कुमार (अभिज्ञान संख्या : 2014276) (गृह जनपद-औरैया) (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2033), सहायक अभियन्ता (निलम्बित), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर को उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही/जाँच के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन कारपोरेशन की सेवा में तत्काल प्रभाव से पुनर्पदस्थापित किया जाता है। श्री राजेश कुमार (2014276), सहायक अभियन्ता (निलम्बित) पुनर्पदस्थापन पर पूर्ववत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर से सम्बद्ध रहेंगे। उनके नियमित तैनाती आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में निर्णय अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने एवं पारित अन्तिम आदेशों के उपरान्त लिया जायेगा।

विजय विश्वास पन्त  
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 12001/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 27-12-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (सा०संसा० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर को उनके पत्रांक 11755/मु०अ०(वि०)स०क्ष०/अधि०/ई-1 दिनांक 24.12.2014 के सन्दर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली।
5. अधीक्षण अभियन्ता, (डी०पी०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. संयुक्त सचिव (अनु०का०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, शामली।
8. उप सचिव (अ०प्र०-01/02/03/04/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
10. श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (निलम्बित), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
11. कट फाईल।

(एस०के० गुप्ता)  
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर

दूरभाष : 0121-2665734  
फैक्स : 0121-2666062  
CIN : U31200UP2003SGC027458



कार्यालय  
प्रबन्ध निदेशक  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०/गृह जनपद/से०नि० की तिथि)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार (2014276) / (औरैया) / (31.01.2033)	सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।	गाजियाबाद क्षेत्र (विद्युत वितरण उपखण्ड-भीमपुर दौराहा श्री प्रमोद कुमार मित्तल के स्थान पर तैनाती हेतु)


- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तीन दिवस के अन्दर अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा अन्यथा की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारी को अनुपस्थिति में (In absentia) कार्यमुक्त कर दें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 12002/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 27-12-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०) / (पाईम) / (वाणिज्य) / (जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर / गाजियाबाद क्षेत्र।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उप सचिव (अ०प्र०-02/03/04/07) / (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- संबंधित अधिकारी।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- वैयक्तिक पत्रावली।
- कट फाइल।

  
(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर





पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०/गृह जनपद/से०नि० की तिथि)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री प्रमोद कुमार मित्तल (2014380)/मुरादाबाद/ 30.06.2016	उपखण्ड अधिकारी-भीमपुर दौराहा अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, डिबाई।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर। (जनपद सहारनपुर के निकट तैनाती हेतु) (स्वेच्छा पर)

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।
- उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तीन दिवस के अन्दर अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा अन्यथा की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारी को अनुपस्थिति में (In absentia) कार्यमुक्त कर दें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 12003/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 27-12-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (सा०सं० एवं प्रशा०)/(पाईम)/(वाणिज्य)/(जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद/सहारनपुर क्षेत्र।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, डिबाई।
- उप सचिव (अ०प्र०-02/03/04/07)/(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- संबंधित अधिकारी।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- वैयक्तिक पत्रावली।
- कट फाइल।

(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०/गृह जनपद/से०नि० की तिथि)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री शैलेन्द्र सिंह (2014301)/बुलन्दशहर/31.07.2039	उपखण्ड अधिकारी, हसनपुर अन्तर्गत वि०वि०ख०, गजरौला।	मेरठ क्षेत्र।


- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।
- उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तीन दिवस के अन्दर अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा अन्यथा की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारी को अनुपस्थिति में (In absentia) कार्यमुक्त कर दें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 12004/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 27-12-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०)/(पाईम)/(वाणिज्य)/(जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र/मेरठ क्षेत्र।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गजरौला।
- उप सचिव (अ०प्र०-02/03/04/07)/(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- संबंधित अधिकारी।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- वैयक्तिक पत्रावली।
- कट फाइल।

  
(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर





पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०/गृह जनपद/से०नि० की तिथि)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित मण्डल का नाम
1	2	3	4
1	श्री बसन्त लाल (2012156)/मेरठ/28.02.2016	उपखण्ड अधिकारी-चतुर्थ, चन्द्रनगर अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-2, सहारनपुर।	मेरठ क्षेत्र।


- 2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- 3- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।
- 4- उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तीन दिवस के अन्दर अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा अन्यथा की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारी को अनुपस्थिति में (In absentia) कार्यमुक्त कर दें।
- 5- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 12005/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 27-12-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०)/(पाईम)/(वाणिज्य)/(जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर/मेरठ क्षेत्र।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सहारनपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-2, सहारनपुर।
11. उप सचिव (अ०प्र०-02/03/04/07)/(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
12. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, नमेरठ।
13. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
14. संबंधित अधिकारी।
15. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
16. वैयक्तिक पत्रावली।
17. कट फाइल।

  
27/12/2014  
(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर